न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 30/2019
तारीख निर्णय–28/10/2020
प्रार्थी :–
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति कंकु पत्नी हीरा जाति–सिरवी
2. श्रीमति गीता पुत्री मांगीलाल जाति –सिरवी
3. तीजो पत्नी मांगीलाल जाति–सिरवी
4. पेमाराम पुत्र मांगीलाल जाति–सिरवी
5. मंजू पुत्री मांगीलाल जाति–सिरवी
6. रूकीया पुत्री मांगीलाल जाति–सिरवी
7. लीला पुत्री मांगीलाल जाति–सिरवी

निवासीगण – नाडोल तहसील–देसूरी जिला –पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण तहसीलदार देसूरी उपस्थित।
2– अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता रतनकुमार।

निर्णय **दिनांक :– 28/10/2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम नाडोल चक–2 मे स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2282 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म चा.सो.जा.सो. खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर किस्म चा.सो. जा.सो., खसरा नम्बर 2894 रकबा 0.3900 हेक्टर किस्म चा.सो.जा.सो. कुल रकबा 4.1300 हेक्टर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि है। जिन्होने कृषि भूमि पर आवासीय मकान, पानी का स्वीमिंग व [illegible] बनाकर कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ बिना भूमि रूपान्तरण क[illegible]षि भूमि पर बिना किसी स्वीकृति अथवा भूमि रूपान्तरण [illegible] यह है कि कृषि भूमि प[illegible] रूपान्तरण किया [illegible] रहा है। जिससे राजस्थान भू–राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में [illegible] भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जो प्लान अनुमोदन किये जाने की प्रक्रिया है।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:28 IST
Reason: SelfAttested

उससे बचने एवं सार्वजनिक सुविधा के भूमि नहीं छोडने की गरज से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहे है। जिससे खातेदार द्वार अपनी खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन कर रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा सरहद ग्राम नाडोल चक-2 मे स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2282 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म चा.सो.जा.सो. खसरा नम्बर 2283 रकवा 2.44 हैक्टर किस्म चा.सो. जा.सो., खसरा नम्बर 2894 रकवा 0.3900 हेक्टर किस्म चा.सो. जा.सो. कुल रकबा 4.1300 हेक्टर में से खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर मे से 1650 वर्गमीटर भूमि पर अकृषि कार्य बिना किसी स्वीकृति अथवा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये किया जा रहा है। निर्मित क्षेत्र जो सडक सीमा के अन्दर निमार्ण कार्य जबरदस्ती किया गया है, सडक मध्य बिन्दू से 16 मीटर छोडते हुए निमार्ण किया गया है वो भी बिना रूपान्तरण करवाये किया गया है जबकि सडक सीमा से 40 मीटर होना चाहिए। जिससे अप्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार को भंग किया गया है। अतः उपर वर्णित भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए प्रार्थी को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री रतनकुमार ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का एवं पटवारी हल्का नाडोल द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा मौजा सरहद ग्राम नाडोल चक-2 मे स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2282 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म चा.सो.जा.सो. खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर किस्म चा.सो. जा.सो., खसरा नम्बर 2894 रकबा 0.3900 हेक्टर किस्म चा.सो. जा.सो. कुल रकबा 4.1300 हेक्टर में से खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर मे से 1650 वर्गमीटर भूमि पर अकृषि कार्य बिना किसी स्वीकृति अथवा भूमि रूपान्तरण करवाये किया जा रहा है। जिस संबंध में पूर्व में भी पटवार हल्का द्वारा पूर्व में भी अप्रार्थी [illegible] पाबन्द किया गया था इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि कार्यवाही निर्माण व पानी का स्वीमिंग पुल व बाउण्ड्री का निर्माण करवाया गया। जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अप्रार्थी द्वारा धारित खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी शर्तो/अनुबंधों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:28 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः ग्राम नाडोल चक-2 में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2282 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म चा.सो.जा.सो. खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर किस्म चा.सो. जा.सो., खसरा नम्बर 2894 रकबा 0.3900 हेक्टर किस्म चा.सो. जा.सो. कुल रकबा 4.1300 हेक्टर में से खसरा नम्बर 2283 रकबा 2.44 हैक्टर मे से 1650 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थी को वादग्रस्त भू-खण्ड कृषि भूमि से बेदखल कर विवादित भूमि धारा 177(1)(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के कब्जे के लिये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का नाडोल चक-2 को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:28 IST
Reason: SelfAttested